



- सांसद बिष्णु पद रे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से द्वीपसमूह में बिजली संकट के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है ।
- मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को अपना अधिकांश शासकीय कार्य हिन्दी में करने का आग्रह किया है।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने लोगों को साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों में हो रही बढ़ोत्तरी के बारे में आगाह किया है।
- दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से सभी गणेश पूजा समितियों के लिए परामर्श जारी किया गया है।



द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से द्वीपसमूह में बिजली संकट के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। सांसद ने अपने पत्र में कहा कि द्वीपसमूह में अनिर्धारित बिजली कटौती से घरों के अलावा विभागों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति छोटी निजी इकाइयों पर निर्भर है, जो अक्सर खराब हो जाती हैं। श्री विजयपुरम में 20 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना, जो केवल 2 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रही है। इसके समाधान के लिए सांसद ने उपाय सुझाए हैं, जिसमें नए डीजी सेटों की तैनाती, द्वीपों में बिजली, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे की स्थिति का आंकलन करने के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन शामिल है। सांसद ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से कल सचिवालय के सभागार में 93वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने की। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राजभाषा नियम 1976 के तहत अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह 'क' क्षेत्र में आता है इसलिए केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को अपना अधिकांश शासकीय कार्य हिन्दी में करने का

आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब कंठस्थ 2.0 तथा भाषिणी अनुवाद सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं जिसकी सहायता से शासकीय कार्यों को अब हिन्दी में आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों से अपील की कि वे अपने कर्मचारियों को इन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित अंतराल में कार्यशाला का आयोजन करें। राजभाषा सचिव ऋचा ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। वर्ष 2024–25 के दौरान राजभाषा नीति के अनुपालन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत विभागों को सम्मानित किया गया।



दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से सिप्पीघाट ग्राम पंचायत में एक राजस्व एवं जागरूकता शिविर न्यायालय का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लंबित दाखिल-खारिज आवेदनों का निपटान किया। विद्युत विभाग की एन आर एस ई टीम ने अन्य अधिकारियों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर एक सत्र भी आयोजित किया। इस सत्र में योजना की विशेषताओं, लाभों, पात्रता मानदंडों और आवेदन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस तरह की संपर्क पहलों के माध्यम से बहु-विभागीय सेवाएँ प्रदान करने के जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों की सराहना की गई, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देने और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण— ट्राई ने परामर्श जारी किया है और लोगों को साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों में हो रही बढ़ोत्तरी के बारे में आगाह किया है। ट्राई के अनुसार धोखाधड़ी करने वाले लोग, प्राधिकरण या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में लोगों पर दूरसंचार या वित्तीय उल्लंघनों का झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण तथाकथित “डिजिटल गिरफ्तारी” घोटाला है, जिसमें पीड़ितों को धमकी भरे कॉल आते हैं और दावा किया जाता है कि वे आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई का खतरा है। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि वह फोन कॉल, संदेश या किसी अन्य माध्यम से मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने के संबंध में उपभोक्ताओं से कोई संवाद नहीं करता है। ट्राई ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे मामलों में उसकी तरफ से किसी भी तीसरे पक्ष को ग्राहकों से संपर्क करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाता है।



गणेश पूजा उत्सव सत्ताईस अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से सभी गणेश पूजा समितियों के लिए परामर्श जारी किया गया है। परामर्श के अनुसार गणेश मूर्तियों की ऊँचाई 16 फीट से अधिक न हो। मूर्तियों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। विसर्जन के लिए निर्दिष्ट मार्ग का पालन किया जाएगा। सभी पूजा समिति विसर्जन की तिथि, समय और मार्ग के बारे में पुलिस विभाग को पहले से सूचित करे। सभी पूजा पंडालों में उचित अर्थिंग के साथ आईएसआई-चिह्नित इंसुलेटेड तारों का उपयोग करना होगा। बिजली विभाग द्वारा पंडालों का निरीक्षण कर एनओसी जारी किए जाएंगे। विद्युत विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग और क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पूजा समिति को पंडालों में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण सुनिश्चित करना चाहिए। पूजा समितियों को स्वयंसेवकों का विवरण तस्वीरों के साथ संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। पूजा के लिए अनुमति आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में एकल खिड़की सुविधा काउंटर स्थापित किया जाएगा। पूजा समितियों को सामान्य और प्लास्टिक कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान रखना होगा। पूजा समिति के आयोजकों से सीपीसीबी के “मूर्ति विसर्जन संबंधी दिशा-निर्देशों” का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।



पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग की ओर से रवींद्र नगर, 28 किमी स्थित पंचायत सामुदायिक भवन में ‘बकरियों का वैज्ञानिक पालन एवं प्रबंधन’ विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना और बेहतर बकरी पालन पद्धतियों के माध्यम से किसानों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन रवींद्र नगर की प्रधान संजीता ने किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए वैज्ञानिक पालन पद्धतियों को सीखने और बकरी पालन के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर पंचायती राज संस्था के सदस्य उपस्थित थे। तकनीकी सत्र के दौरान बकरी पालन के आवश्यक पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें शेड निर्माण, संतुलित आहार, कृषि संचालन और बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण शामिल हैं।



समाचार पत्रों की सुर्खियां

प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 93वीं बैठक आयोजित करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने प्रमुखता देते हुए अपनी पहली हेडलाइन बनाया है। इसके अलावा अखबार ने अनीमिया मुक्त भारत की दिशा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाए जाने के समाचार को भी प्रकाशित किया है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने टी एस जी भास्कर द्वारा जी बी पंत अस्पताल में यूरोलोजिकल उपकरण की तत्काल मांग करने के समाचार को पहले पन्ने के मध्य में जगह दी है। द इको ऑफ इंडिया और इंफो इंडिया ने व्यवसायिक उपयोग के लिए सफेद बोर्ड पंजीकरण प्लेट वाले निजी वाहनों के अवैध उपयोग करने के समाचार को अपने अखबार में प्रमुखता से छापा है।

